



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण (ब्यावर) राज.

E-Mail : sdojaitaran@gmail.com Phone No : 02939-222223

क्रमांक/कोर्ट/2025/636

दिनांक :- 16/7/2025

:- आदेश :-

श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ब्यावर के आदेश क्रमांक/कब्या/भू.अ./2024/95 दिनांक 05.12.2024 की अनुपालना में आमजन की सुविधा हेतु ग्रामीण आबादी और खेतों के लिए "रास्ता खोलो अभियान" के अन्तर्गत वर्षों से मौके पर चलायमान रास्ता को भू-अभिलेख में गैर मुमकीन रास्ता अंकित करने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) जैतारण के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/1728 दिनांक 25.04.2025 द्वारा अभिप्रेषण सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक/प. 4(10)राज.-6/2024/19 जयपुर दिनांक 21.05.2025 के अनुसरण में चालु स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही के संबंध में उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार (भू.अ.) जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर निम्न खसरानु के सम्मुख उल्लेखित रकबों से से कॉलम संख्या (ख) में अंकित रकबा की भूमि खातेदारी की आराजी में से कम करते हुए उसी खातों में प्रस्ताव के सलंगन मौका फर्द दिनांक 16.04.2025 में अंकित नजरी नवशानुसार गैर मुमकीन रास्ता घोषित करते हुए भू-अभिलेख में इन्द्राज एवं तरमीम किए जाने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। सलंगन मौका फर्द दिनांक 16.04.2025 इस आदेश का भाग माना जाए। तहसीलदार जैतारण उक्त आदेश की नियमानुसार अनुपालना करते हुए भू-अभिलेख में अमल दरामद करें एवं बाद अमल दरामद रिकॉर्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करें।

प्रकरण संख्या 234/2025

ग्राम का नाम : बलुन्दा

पटवार मण्डल : बलुन्दा

वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि (क)					नवीन (रास्ता हेतु) दर्ज प्रविष्टि (ख)			
क्र.सं.	खाता सं.	खसरा नं०	रकबा हैक्टर में	किस्म जमीन	खाता संख्या	खसरा नं०	रकबा हैक्टर में	किस्म जमीन
1	100	2756/938	0.1464	बा.अ.	100	2756/938	0.1464	गै.मु.रास्ता
2	100	2771/936	0.066	बा.अ.	100	2771/936	0.066	गै.मु.रास्ता

(रवि प्रकाश) RAS

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

दिनांक :- 16/7/25

क्रमांक/कोर्ट/2025/सप्त

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (भू0अ0) ब्यावर को सूचनार्थ।
2. तहसीलदार (भू0अ0) जैतारण को पालनार्थ।
3. पटवारी हल्का बलुन्दा।
4. कार्यालय प्रति।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण